(भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 22/02/ 2017

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली में सिस्टर ट्यूटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली, सिस्टर ट्यूटर (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2016 है |

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे-मेट्रिक्स में लेवल- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे-मेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं |

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिस्टर ट्यूटर	2* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, (अनन्नुसचिवीय)	पे-मेट्रिक्स 56100-177500 रु. का लेवल 10	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।
(11)
पदोन्नति: उन पब्लिक हैल्थ नर्सों में से जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स 47600-15100 रु. के लेवल 8 में दो वर्ष नियमित सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त शोध संस्था के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 2, 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4800 रु. में उस ग्रेड में दो पर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित अहर्ताएं और अनुभव रखते हों: **अनिवार्य:** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बी.एससी. नर्सिंग के साथ राज्य नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण। **वांछनीय:** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एम.एससी. नर्सिंग टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे कैंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए):		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष	
2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	- सदस्य	
3. चिकित्सा अस्पताल के प्रभारी उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	- सदस्य	
4. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली	- सदस्य	
5. नर्सिंग सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	- सदस्य	
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए):		
1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	- अध्यक्ष	
2. चिकित्सा अस्पताल के प्रभारी उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	- सदस्य	
3. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली	- सदस्य	
4. नर्सिंग सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	- सदस्य	

[ए.12018/03/1997-पीएच सीडीएल]

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार मुद्रणालय,
बाहरी रिंग रोड, माया पुरी,
नई दिल्ली-110064